



## उत्तर प्रदेश शासन

### उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

चित्रकूट  
कर्वी  
241710030020630  
411243006402

जारी दिनांक: 06/06/2024

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

भागवत प्रसाद/Bhagwat Prasad  
जयराम  
शकुन्ता देवी  
657, खोही रोड शिवरामपुर  
शिवरामपुर  
कर्वी  
चित्रकूट



उत्तर प्रदेश राज्य की काइली जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **भागवत प्रसाद/Bhagwat Prasad** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सफल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में गद्या विधिष छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: भागवत प्रसाद/जी.पी.सी.ए.के.केन्द्र  
पद: भागवत प्रसाद, केन्द्र प्रभारी  
स्थान: मखरिहा, कर्वी, मखरिहा, कर्वी, कर्वी  
दिनांक: 29/06/2024



VACHSPATI SINGH  
Digitally Signed by  
VACHSPATI SINGH  
O=Personel,  
S=Uttar Pradesh

सदाम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
कर्वी, चित्रकूट  
दिनांक: 06/06/2024

हस्ताक्षर एंव मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० बतित कर, सत्यापित किया जा सकता है।